न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं. :– 39 / 2014 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. झबरू पुत्र रामलाल जाति मीना निवासी दुब्बी तह0 राजगढ जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. विश्राम पुत्र मन्नाराम जाति मीना निवासी दुब्बी तह0 राजगढ जिला अलवर
2. मूली पत्नि मन्नाराम जाति मीना निवासी दुब्बी तह0 राजगढ जिला अलवर
3. तहसीलदार राजगढ।

..... असल रेस्पो0

उपस्थितः– श्री निरंजन लाल चौधरी अभिभाषक रेस्पो0।

अपील सं. :– 40 / 2014 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. झबरू पुत्र रामलाल जाति मीना निवासी दुब्बी तह0 राजगढ जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. विश्राम पुत्र मन्नाराम जाति मीना निवासी दुब्बी तह0 राजगढ जिला अलवर
2. दिनेश पुत्र विश्राम जाति मीना निवासी दुब्बी तह0 राजगढ।
3. भोली पत्नि विश्राम जाति मीना निवासी दुब्बी तह0 राजगढ।
4. तहसीलदार कम सब रजिस्ट्रार राजगढ जिला अलवर।
5. मूली पत्नि मन्ना जाति मीना निवासी दुब्बी तह0 राजगढ।

..... रेस्पो0

उपस्थितः– श्री निरंजन लाल चौधरी अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 17.10.2019

ये दोनों अपीलें विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय दिनांक 13.11.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में अपीलों के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 वादी ने दावा तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का तहत अदालत में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी विवादित हाल खसरा नं. 164/0.15, 172/1446 रकबा 0.06, 550/0.48, 556/0.36, 594/0.19, 595/0.16, 1098/0.13 है0 वाके ग्राम दुब्बी तहसील राजगढ में स्थित है जो आराजी किया हुआ है परन्तु विधिवत रूप से बंटवारा नही हुआ है। आराजी पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। पक्षकारान में कब्जा वो काश्त को लेकर आए दिन तनाजा रहता है तथा आराजी के सही उपयोग व उपभोग में व्यवधान रहता है। इसलिये मुताबिक हिस्सा हाल रिकार्ड आराजी का पक्षकारान में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा किया जाने व खाता पृथक–पृथक किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान तहत अदालत ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। विद्वान तहत अदालत के निर्णय दिनांक 13.11.2014 से व्यथित होकर वादी/अपीलांट ने ये दोनों अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

चूंकि दोनों अपीलों में निर्णय के बिन्दु समान है दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों अपीलों में संलग्न की जावें।

अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अपील अपीलांट अनुपस्थित।विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि वकील अपीलांट बहस के लिये हमेशा समय लेना चाहते हैं। कम से कम 5 बार समय ले लिया। आज वे एकपक्षीय बहस करना चाहते हैं। फर्द अहकाम का अवलोकन किया गया। पत्रावली में 5 बार बहस मौके पर पत्रावली पेश हुई है। अपीलांट को बहस का अवसर बंद किया जाता है।

अपील के तथ्यों के अनुसार आराजीयात पहले से अपने बुजुर्गान के समय से मौके पर बंटी हुई है। जिसके खसरा नं. 550/0.48, 594/0.19, 595/0.16 वाके ग्राम दुब्बी तहसील राजगढ अपीलांट के कब्जे काश्त में है व अपीलांट ने इन आराजीयात को काफी मेहनत करके उपजाऊ बनाया है व 50 वर्षों से अपने हिस्से पर काश्त करता चला आ रहा है। रेवेन्यू बोर्ड के नियमों के मुताबिक यथासंभव जहां जिसका कब्जा है, उसके वही नं. डिक्री में देना चाहिये था। कुरेजात बनाते समय झबरू राम को नोटिस देना चाहिये था व मौके पर जाकर

कुरेजात रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये थी।तहत अदालत द्वारा अपीलांट की बिना किसी सहमति के अपीलांट को सुने बिना ही रेस्पो0 वादी का वाद डिक्री कर दिया। अपीलांट को अपना जबाव दावा पेश करने का व उसके बाद सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें ।

अपील रेस्पोडेण्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।बहस में अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा इस्तदुआ की गई कि रेस्पो0 को पूरी आराजीयात पर तहत अदालत के आदेश में मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति से पाबंद कर रखा है। आज तक आदेश की पालना करते आ रहे हैं। वाद धारा 53 आर.टी.एक्ट का है जिसमें उपखण्ड अधिकारी ने सहमति से आदेश व सहमति से कुरेजात रिपोर्ट कर अंतिम डिक्री पारित की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अभिभाषक रेस्पो0 की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया।

तहत अदालत की आदेशिका दिनांक 16.06.2014 के अनुसार अपीलांट झबरू द्वारा विभाजन की सहमति व दिनांक 08.07.2014 की आदेशिका पर पुनः सहमति के हस्ताक्षर अंकित हैं। दिनांक 03.11.2014 को कुरेजात रिपोर्ट पर तहत अदालत द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। कोई आक्षेप नही प्राप्त हुआ।तदनुसार अंतिम डिक्री पारित हुई।

मेरे विनम्र मत से जब एक बार न्यायालय के समक्ष सहमति से बंटवारा हो गया, कुरेजात रिपोर्ट पर विधिवत दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा कोई आक्षेप नही है तो यह माना जायेगा कि तहत अदालत द्वारा विधिपूर्वक सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुये अंतिम डिक्री जारी की है।
इसलिए हम तहत न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ का निर्णय दिनांक 13.11.2014 यथावत रखा जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । निर्णय की प्रति दोनों अपीलों में संलग्न की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17.10.19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर